झारखण्ड सरकार

**परिवहन विभाग**

एफ०एफ०पी० भवन, धुर्वा, राँची

## || निजी प्रदूषण जाँच केन्द्र से संबंधित आवश्यक सूचना ||

एतद् द्वारा राज्य के सभी निजी प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्तिधारी एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–630, दिनांक–20.06.2019 द्वारा निजी प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्ति स्वीकृति, नवीकरण एवं अन्य शुल्क में निम्न संशोधन किया गया है–

(i) **नियम 252 का उप नियम 252 (घ)**– प्रदूषण जाँच केन्द्र हेतु प्राधिकरण पत्र की स्वीकृति या नवीकरण के लिए प्रपत्र ए.पी.टी.सी. में प्राधिकरण प्राधिकारी को आवेदन दिया जायेगा। इस नियम के अधीन ऐसे प्राधिकरण एवं एतद संबंधी अन्य स्वीकृति के लिये निम्न शुल्क का भुगतान किया जाएगा–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए फीस। | 10000.00 रू० |
| (ख) | मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति की नवीकरण करने के लिए फीस। | 10000.00 रू० |
| (ग) | नियम–252 ठ के उप–नियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए फीस। | 1000.00 रू० |
| (घ) | मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्त्तन हेतु आवेदन फीस। | 5000.00 रू० |
| (ङ.) | मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण (वैद्य उत्तराधिकारी के बीच) हेतु फीस। | 3000.00 रू० |

(ii) **नियम 252 का उप नियम 252 (छ)** – स्वीकृत या नवीकृत प्राधिकार पत्र स्वीकृति या नवीकरण की तिथि से 03 (तीन) वर्ष के लिए वैद्य होगा।

(iii) **नियम 252 का उप नियम 252 (ज)** – प्राधिकरण पत्र के नवीकरण हेतु इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले आवेदन देना होगा। विलंबित आवेदन के लिए आवेदक को विलम्ब का कारण देना होगा और विलम्ब अवधि के लिए दंड के रूप में निम्न शुल्क देय होगा–

| क्र०सं० | अवधि | विलम्ब फीस |
|---|---|---|
| (क) | अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के पूर्व | 00/– |
| (ख) | अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर | 1000/– |
| (ग) | अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति के पश्चात | 1000/– एवं प्रत्येक माह व अंश के लिए 500/–प्रतिमाह |

D:\Smith\Pollution Center New Amendment Rules.docx

**(iv) नियम 252 का उप नियम 252 (ञ)**– प्राधिकृत जाँच केन्द्र के द्वारा की गयी जाँच एवं निर्गत प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए निम्न शुल्क जाँच केन्द्र द्वारा ली जाएगी–

| क्र०सं० | वाहनों का प्रकार | अवधारित फीस | अवधारित फीस में से सरकार को दी जानेवाली राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | दुपहिया वाहन | 50.00 रू० | 20.00 रू० |
| 2. | तीन पहिया वाहन | 80.00 रू० | 30.00 रू० |
| 3. | चार पहिया वाहन | 120.00 रू० | 40.00 रू० |
| 4. | मध्यम वाहन | 200.00 रू० | 80.00 रू० |
| 5. | भारी वाहन | 300.00 रू० | 100.00 रू० |

**नोटः**– निजी प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्तिधारी प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गत हेतु निर्धारित फीस के अनुरूप राशि वाहन स्वामियों से लेना एवं राज्य सरकार को दी जाने वाली राशि संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को वाहनों की विवरणी से संबंधित शपथ–पत्र के साथ चेक/डीडी के माध्यम से राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

D:\Santosh\Pollution_Center New Amendment Rules.docx